

न्यायालय जिला कलेक्टर, सीकर

रामप्रताप चौधरी

बनाम

विवेक कटारिया तहसीलदार रींगस आदि

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

मुकदमा नम्बर - 40 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर व तारीख प्रकल्प जो हुक्म हुक्म की तारीख में जारी हुए
18.07.25	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री मनोज भार्गव उपस्थित।</p> <p>यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मय स्थगन आवेदन न्यायालय तहसीलदार रींगस में विचाराधीन प्रकरण संख्या 23/25 बउनवानी सरकार बनाम सजना देवी आदि अंतर्गत धारा 91(1) एल.आर.एक्ट 1956 को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु पेश किया गया है।</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगणों को जरिये रजि. नोटिस तलब किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय से बिन्दुवार टिप्पणी ली जाकर पत्रावली दिनांक 19.08.25 को पेश हो।</p>	<p>नोटिस:- 725.37 18/07/25</p> <p>टिप्पणी:- 97 18.07.25</p>
19.08.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील जयदीप ने दस्तावेज पेश किये हैं। भर्षीनस्थ न्यायालय से टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। पत्रावली स्वभादेश अनुसार दिनांक 14.10.25 को पेश हो।</p>	
14.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. अवकाश पर है। पत्रावली पूर्व अधिसूचना दिनांक 27.10.25 को पेश हो।</p>	
27.10.25	<p>पत्रावली पेश हुई। अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण अन्वय हो चुका है, जिसके स्थान पर अन्वय पीठासीन अधिकारी ने कार्यभार संभाल लिया है। अतः अब इस पत्रावली में आपसी कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।</p> <p>अतः यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार होकर नम्बर से कम है।</p>	

(मुकुल शर्मा)

जिला कलेक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)

जिला कलेक्टर, सीकर